आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मुकदमा नं0 :–77 / 2019 निर्णय दिनांक :–25.02.2020

1. कृष्णा देवी पत्नि सदासुख जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

———— आवेदिका / प्रार्थीया

बनाम

1. शिवकुमार पुत्र सुखवीर सिंह जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. सुनिता पत्नि रामवतार जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. सुमन देवी पत्नि जयसिंह जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. सुरपी देवी पत्नि सुखवीर सिंह जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

————अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनयम

संक्षेप में तथ्य आवेदन पत्र इस प्रकार है कि ग्राम कासनी में आवेदक व अनावेदक 1 लगायत 4 की खसरा भूमि 477 व 475 खुद काश्त खातेदारी की भूमि स्थित है । आवेदिका की ग्राम कासनी में भूमि खसरा न0 477, 475 व 476 खुद काश्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसमें आवेदिका को अपने मकानो में जाने,मवेशी,ट्रेक्टर व अन्य वाहन ले जाने के लिए आवेदक 1 लगायत 4 के हिस्से के खसरा न0 477 के मध्य से उपरोक्त रास्ते बाबत भाई बटवारा दिनांक 10.06.2011 को तत्कालीन संरपच की उपस्थिति में खातेदारो का समझौता हुआ था जिसमें दोनो भाई सदासुख व सुखवीर की बराबर–बराबर काटी जायेगी जिस पर दोनो भाईयों ने रास्ता कायम किया जिसका नजरी नक्शा संलग्न हैं। अब अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीया के आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदिका उक्त रास्ते के बाबत भाई बटवारे के अनुसार रास्ते की आधी जमीन या मुआवजा देने को तैयार है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक को अपने मकानों में आने–जाने के लिए भाई बटवारे के अनुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार घोषित किया जावे व तहसीलदार सुरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जावे।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर तारीख की सूचना दी [illegible] तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अनावेदकगण [illegible] जरिये वकील प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दरख्वास्त पेश किया। तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के मुताबिक आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा उनके खेत में जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है तथा अन्य तरफ से कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकार अधिनयम के तहत पूर्णतय पोषणीय होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आवेदकगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट कमांक पाठक/2019/278 दिनांक 29.07.2019 के अनुसार मौके पर कृष्णा देवी पत्नी सदासुख(वादिया) के आवासीय मकान व भाई बटवारे में आई हुई कृषि भुमि में वर्तमान में आवागमन का कोई रास्ता नहीं हैं। वादिया का परिवार पड़ोसी खातेदारान की कृषि भूमि से आवागमन करता है। मौके पर वादिया की कृषि भूमि पर काश्त भी नही की गई हैं वादिया के पति सदासुख द्वारा बाताया गया की बुआई हेतु साधन (ट्रेक्टर) का रास्ता न होने के कारण बुआई कार्य नहीं हो पाया है।

वाद में वादिया द्वारा भूमि खसरा न0 477 की पश्चिमी दिशा में ग्राम कासनी से जाखोद रोड़ पर जाने वाले ----- डोटेड लाईन के रास्ते से आवागमन हेतु धारा 251ए के अन्तर्गत रास्ता चाहा गया है जो राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं हैं। इसके अलावा उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिए प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदिक की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 475 स्थित ग्राम कासनी में आवागमन हेतु अनावेदकगण की भूमि भूमि ख.नं. 477, वाके मौज़ा कासनी में से 4 मीटर चौड़ा तथा 166 मीटर लम्बा रास्ता (कुल रकबा 664 वर्गमीटर भुमि) तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा कमांक पाठक/2019/278 दिनांक 29.07.2019 के मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से वसूल कर संबंधित खातेदारान को अदा करें तत्पश्चात रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रास्ते का रकबा पृथक से कायम करें। रास्ता मौके पर खुलवाया जावे। रास्ते में स्थित पेड़ वगैरह को हटवाये जाने का हर्जा खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट कमांक पाठक/2019/278 दिनांक 29.07.2019 निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner